जल्लीकट्टू

सन्दर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधानसभाओं द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, (पीसीए अधिनियम), 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा।

फैसले की मुख्य विशेषताएं:

- यह संशोधन जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों की अनुमति देते हैं।
- न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
- न्यायालय ने कहा कि जल्लीकट्टू का मुद्दा बहस का मुद्दा है जिसे लोकसभा (हाउस ऑफ पीपल) द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने जोर दिया कि एक विस्तृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण की आवश्यकता है, यह न्यायपालिका के दायरे से बाहर है।
- इस फैसले ने 2014 के दो जजों की पीठ के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें 'वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए. नागराजा' मामले में जल्लीकट्टू सहित ऐसे खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

जल्लीकट्टू क्या है?

- जल्लीकट्टू, जिसे एरुथाझुवुथल के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल फसल उत्सव के दौरान खेला जाने वाला एक पारंपरिक सांडों को वश में करने वाला खेल है।
- यह त्योहार प्रकृति का उत्सव है जिसमे भरपूर फसल के लिए धन्यवाद देने के साथ पशु-पूजा भी शामिल है।
- जल्लीकट्टू को पशु अधिकार समूहों और अदालतों

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के बारे में:

- यह अधिनियम भारत के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है जो जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला और घरेलू जानवर, बंदी जानवर और मनोरंजन और अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले जानवर शामिल हैं।
- **प्रतिबंधित अधिनियम:** पीसीए अधिनियम जानवरों के प्रति क्रूरता के विभिन्न कार्यों को प्रतिबंधित करता है जैसे कि पीटना, अधिक काम करना, यातना देना, विकृत करना और उन्हें मारना। यह जानवरों की लड़ाई और उचित अनुमति के बिना प्रयोग के लिए जानवरों के उपयोग जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- **अपराध और दंड:** अधिनियम अपराधों को अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत करता है, प्रत्येक में विशिष्ट दंड हैं। उदाहरण के लिए, धारा 11 जानवरों के प्रति सामान्य क्रूरता से संबंधित है और अपराधी के लिए कारावास और/या जुर्माने की सजा का प्रावधान करती है।

द्वारा पशु क्रूरता और खेल की प्रकृति के बारे में उठाई गई चिंताओं के कारण चल रहे विवाद का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप सांडों और मानव प्रतिभागियों दोनों को चोट लगने के साथ मृत्यु भी हो सकती है।

पापुआ न्यू गिनी

सन्दर्भ:

- हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के एक नेता ने घोषणा की कि पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौता करेगा, जिससे अमेरिकी सैनिकों को उसके बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंच होगी।

मुख्य विशेषताएं:

- यह समझौते (जिन्हें हर 15 साल में नवीनीकृत किया जा सकता है) अमेरिकी उपग्रह निगरानी तक पहुंच के बदले में ऑस्ट्रेलिया और जापान के समुद्री मार्गों के पास पापुआ न्यू गिनी के जल में संयुक्त राज्य अमेरिका को महत्वपूर्ण गतिविधि प्रदान करेगा।

पापुआ न्यू गिनी के बारे में:

- पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है।
- स्थान: पापुआ न्यू गिनी न्यू गिनी द्वीप के पूर्वी हिस्से के साथ-साथ इस क्षेत्र के कई छोटे द्वीपों पर भी स्थित है।
- राजधानी: पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, जो देश के दक्षिणी तट पर स्थित है।
- स्वतंत्रता: पापुआ न्यू गिनी ने 16 सितंबर, 1975 को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त कर एक संप्रभु राष्ट्र बन गया।
- सांस्कृतिक विविधता: यह अविश्वसनीय रूप से विविध है जिसमें 800 से अधिक विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और स्वदेशी संस्कृतियों की भीड़ है।
- माउंट विल्हेम इसकी सबसे ऊंची चोटी है।
- **अर्थव्यवस्था:** पापुआ न्यू गिनी की अर्थव्यवस्था कृषि, खनन और प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
- यह सोना, तांबा, तेल, प्राकृतिक गैस और इमारती लकड़ी जैसे संसाधनों से समृद्ध है।

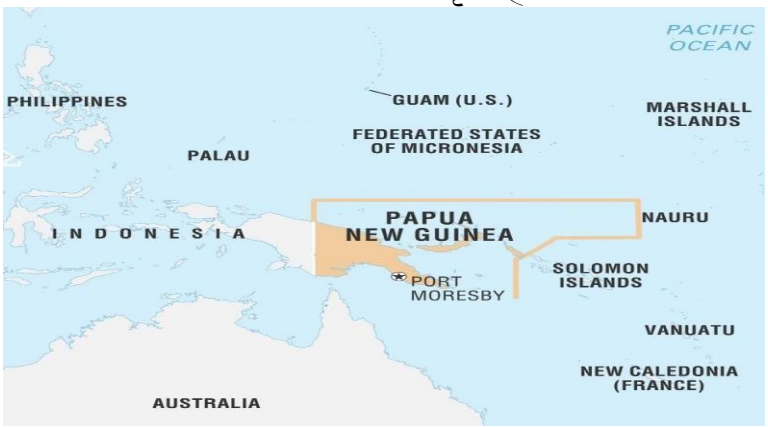

ग्रीन डिपॉजिट

सन्दर्भ:

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए बैंकों के लिए एक नियामक फ्रेमवर्क जारी किया।

ग्रीन डिपॉजिट क्या हैं?

- ग्रीन डिपॉजिट नियमित जमा के समान हैं जो बैंक अपने उपयोगकर्ताओं से स्वीकार करते हैं।
- इसमें एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि बैंक ग्रीन डिपाजिट के रूप में प्राप्त जमा राशि को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए प्रदान करने का भरोसा देते हैं।
- उदाहरण के लिए, एक बैंक यह वादा कर सकता है कि ग्रीन डिपॉजिट का उपयोग जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
- ग्रीन डिपॉजिट अन्य वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में सिर्फ एक उत्पाद है जैसे कि ग्रीन बॉन्ड जो निवेशकों को पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परियोजनाओं में पैसा लगाने में मदद करते हैं।

आरबीआई का नियामक फ्रेमवर्क:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के ढाँचे में बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न हरित परियोजनाओं के लिए आवंटन और ऐसे निवेशों के पर्यावरणीय प्रभाव सहित हरित जमाओं का निवेश करने के बारे में जानकारी प्रकट करें।
- बैंकों को ग्रीन डिपॉजिट निवेश करने के लिए अनुमोदित नियम या नीतियां विकसित करनी चाहिए, जिन्हें उनकी वेबसाइटों पर सार्वजनिक करने की आवश्यकता है।
- बैंकों के निवेश के दावों और हरित परियोजनाओं के स्थायित्व प्रमाण-पत्रों का तृतीय-पक्ष सत्यापन अनिवार्य है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण सहित ग्रीन डिपॉजिट के लिए पात्र क्षेत्रों की एक सूची प्रदान की है।
- ग्रीनवॉशिंग को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, तम्बाकू आदि से जुड़ी परियोजनाओं में ग्रीन डिपॉजिट का निवेश नहीं किया जा सकता है।
- नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ग्रीन डिपॉजिट के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भ्रामक दावों को रोकना है।

संक्षिप्तसुर्खियां

अखिल भारतीय पेंशन अदालत

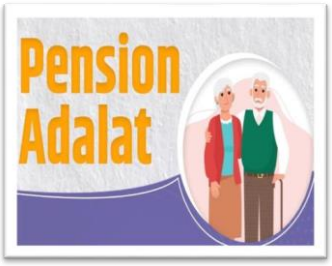

सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत राज्य मंत्री ने दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया।

मुख्य विशेषताएं:

- अब तक विभाग द्वारा 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 24,218 मामलों में से 17235 मामलों का समाधान किया गया है।
- सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और सेवा प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा शुरू किए गए भविष्य प्लेटफॉर्म ने पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान के अंत से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है।
- पेंशन अदालत पहल की शुरुआत प्रायोगिक आधार पर 2017 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा की गई थी।
- यह मॉडल एक विशेष शिकायत के लिए सभी हितधारकों को एक आम मंच पर आमंत्रित करने के लिए अपनाया गया है जिससे पेंशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रत्येक हितधारक के अनुसार मामले को सुलझाया जा सके ताकि पेंशन समय पर शुरू हो सके।

संचार साथी पोर्टल

सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल नाम से नागरिक आधारित एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से मोबाइल उपयोगकर्ता अब अपने खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग की एक पहल है। यह नागरिकों को उनके नाम पर जारी किए गए मोबाइल कनेक्शनों को जानने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाता है तथा जिनके लिए कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है उन्हें खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने की अनुमति देता है।
- इस पोर्टल में तीन महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं:
  - चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर शुरू किया गया है।
  - दूसरा मॉड्यूल अपने मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए है।
  - तीसरा मॉड्यूल टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन के तहत फर्जी ग्राहकों की पहचान करेगा।

- संचार साथी पोर्टल के माध्यम से अब तक 40 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शनों की पहचान की गई है और 36 लाख से अधिक ऐसे कनेक्शनों को काटा जा चुका है।

एंडोसल्फान कीटनाशक (Endosulfan Pesticide)

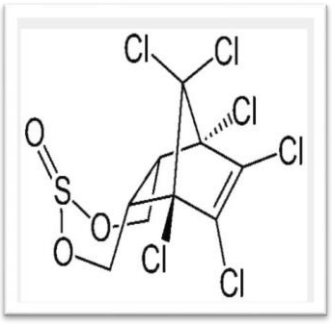

सन्दर्भ:

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान कीटनाशक जोखिम पीड़ितों के लिए "वस्तुतः कुछ भी नहीं" करने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई है

एंडोसल्फान के बारे में:

- एंडोसल्फान के संपर्क में आने या इसके अंतर्ग्रहण से तीव्र और जीर्ण स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी, प्रजनन संबंधी समस्याएं और यकृत, गुर्दे और श्वसन प्रणाली को नुकसान शामिल है।
- पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहने के कारण इसे स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** एंडोसल्फान पर्यावरण में अत्यधिक स्थायी है जो मिट्टी, जल निकायों और खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकता है।
- **वैश्विक प्रतिबंध:** स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण, कई देशों ने एंडोसल्फान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इसकी खतरनाक प्रकृति को पहचानते हुए। 2011 में लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन ने एंडोसल्फान को वैश्विक उन्मूलन के लिए सूचीबद्ध किया।
- **भारत का प्रतिबंध:** भारत में एंडोसल्फान के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताओं के बाद 2011 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके उपयोग, निर्माण, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- केरल राज्य में एंडोसल्फान के संपर्क में आने से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और मौतों की व्यापक रिपोर्ट के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया।

75/25 पहल

सन्दर्भ:

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने "75/25" पहल की शुरुआत की है, जो भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है।

मुख्य विशेषताएं:

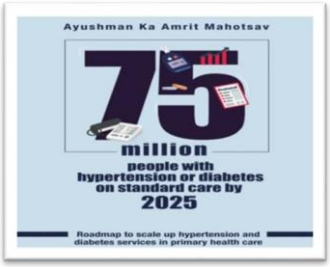

- **लक्ष्य:** इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) पर ध्यान देने के साथ 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन व्यक्तियों के लिए मानकीकृत देखभाल सुनिश्चित करना है।
- **प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारी:** लगभग 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से एनसीडी के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य पेशेवरों को सामुदायिक स्तर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

सन्दर्भ:

- मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' (Chief Minister Learn and Earn Scheme) को मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएं:

- **विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास:** यह योजना इंजीनियरिंग, होटल प्रबंधन, पर्यटन, आईटीआई, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों में लगभग 700 विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे युवाओं को अपनी रुचि के अनुरूप क्षेत्रों का चयन करने में मदद मिलती है।
- सरकार भी सक्रिय रूप से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है।
- नियमित रोज़गार दिवस सरकारी गारंटी और ब्याज सब्सिडी द्वारा समर्थित स्व-रोज़गार के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जिससे हर महीने लगभग 2.5 लाख युवाओं को लाभ मिलता है।

अरब लीग शिखर सम्मेलन

सन्दर्भ:

- हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद अरब लीग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सऊदी शहर जेद्दा पहुंचे।

मुख्य विशेषताएं:

- 2011 में इसकी सदस्यता निलंबित किए जाने के बाद सीरिया अरब लीग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहा है।
- अरब लीग शिखर सम्मेलन अरब लीग के सदस्य देशों के नेताओं का एक सम्मेलन है, जो अरब दुनिया के 22 देशों का एक संगठन है।

- शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने, सहयोग को बढ़ावा देने और अरब देशों द्वारा सामना की जाने वाली आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह आमतौर पर वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें मेजबान देश सदस्य देशों के बीच रहता है।
- शिखर सम्मेलन की मेजबानी आमतौर पर उस समय अरब लीग की अध्यक्षता करने वाले देश द्वारा की जाती है।

कपिलेश्वर मंदिर

सन्दर्भ:

- हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण (एएसआई) की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया ।
- प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के पास कपिलप्रसाद क्षेत्र में स्थित यह मंदिर महान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।

मुख्य विशेषताएं:

- एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में कपिलेश्वर मंदिर को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करता है।
- 5वीं शताब्दी के समय में निर्मित इस मंदिर का 14वीं शताब्दी में उस समय के एक प्रमुख शासक गजपति कपिलेंद्र देव द्वारा ऐतिहासिक जीर्णोद्धार किया गया था।
- इस जीर्णोद्धार ने मंदिर की भव्यता में बढ़ोत्तरी की और प्राचीन कलिंग शैली में उत्कृष्ट नक्काशी और आश्चर्यजनक वास्तुकला का प्रदर्शन किया।
- कपिलेश्वर मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो अपनी लुभावनी नक्काशी और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है।

ऑपरेशन ध्वस्त

सन्दर्भ:

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन ध्वस्त के तहत किए गए राष्ट्रव्यापी छापेमारी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये छापे आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क के लिए है।

मुख्य विशेषताएं:

- स्थानीय पुलिस के साथ एक समन्वित अभियान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में 129 स्थानों पर

छापे मारे गए।

- एनआईए की कार्रवाइयां आतंकवादी नेटवर्क और उनके समर्थन बुनियादी ढांचे को खत्म करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
- एजेंसी अगस्त 2022 से तीन मामलों की जांच कर रही है, जिसमें लक्षित हत्याएं, खालिस्तान समर्थक संगठनों के लिए आतंकी फंडिंग और जबरन वसूली शामिल हैं।
- विभिन्न राज्यों की जेलों में साजिश रची जा रही थी और एक संगठित नेटवर्क द्वारा अंजाम दिया जा रहा था जिसमें विदेशों में स्थित ऑपरेटिव शामिल थे।
- कुछ अपराधी जो पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भाग गए थे, गंभीर अपराधों की योजना बनाने के लिए जेल में बंद व्यक्तियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

हिरोशिमा शिखर सम्मेलन

सन्दर्भ:

- द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया के पहले परमाणु हमले के स्थान हिरोशिमा में दुनिया के सात सबसे शक्तिशाली देशो के नेता G7 शिखर सम्मेलन के समूह के लिए एकत्रित होंगे।

जी-7 शिखर सम्मेलन क्या है?

- G7 एक अनौपचारिक समूह है जिसमें सात प्रमुख औद्योगिक देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- जापान इस वर्ष के G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है, लेकिन G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इसके सात सदस्यों के बीच बदलती रहती है।
- जी7 सदस्यों के अलावा, यूरोपीय संघ के दो प्रतिनिधि भी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं।
- शिखर सम्मेलन के विशिष्ट सत्रों में भाग लेने के लिए गैर-जी7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया जाता है।
- इन नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान आर्थिक नीति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और लिंग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
- पहला G7 शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था जब फ्रांस ने एक बैठक की मेजबानी की थी जिसे उस समय छह के समूह के रूप में जाना जाता था। इसका उद्देश्य अरब तेल प्रतिबंध के बाद मंदी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना था।
- कनाडा एक साल बाद समूह के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, इसे G7 तक विस्तारित किया।
- रूस 1998 में सदस्य बनकर समूह को G8 नाम दिया। हालाँकि, रूस को बाद में

	2014 में क्रीमिया के विनाश के बाद निष्कासित कर दिया गया था।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare